न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर

बईजलास–जितेन्द्र कुमार सोनी ,आई.ए.एस

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र संख्या – 15/2020
जी.सी.एम.एस.पोर्टल संख्या–2020/00110

प्रार्थी	बनाम	**अप्रार्थीगण**
भंवरलाल पुत्र स्व. पांचाराम जाति जाट निवासी दागडी तहसील डेगाना जिला नागौर		

अप्रार्थीगण

1. उपखण्ड अधिकारी, डेगाना जिला नागौर
2. लिछमणराम पुत्र दानाराम
3. मेहराम पुत्र दानाराम (फौत)
   3/1 रामरूघनाथ पुत्र मेहराम
   3/2 पतासी पुत्री मेहराम
   3/3 चकूडी पत्नी मेहराम
   जाति जाट निवासीगण दागड़ी तहसील डेगाना जिला नागौर
4. मुतराई पत्नि हीराराम पुत्री दानाराम जाति जाट निवासी दागड़ी हाल निवासी भावला तहसील जायल जिला नागौर
5. भैरूराम पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी दागड़ी तहसील डेगाना, नागौर
6. बावडी पुत्री पन्नाराम पत्नि नाथुराम जाति जाट निवासी बच्छवास डेगाना, नागौर
7. रामसुख पुत्र पन्नाराम जाति जाट निवासी दागड़ी तहसील डेगाना जिला नागौर
8. जानकी पुत्री पन्नाराम पत्नि पाबूराम जाति जाट निवासी बच्छवास तहसील डेगाना जिला नागौर
9. परमा देवी पुत्री पन्नाराम पत्नि हरदेवराम जाति जाट निवासी खुडी कलां तहसील डेगाना जिला नागौर
10. फैफा देवी पुत्री सांवता पत्नि शिवकरण जाति जाट निवासी सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर
11. रामी पुत्री सांवताराम पत्नि मिसाराम (फौत)
    11/1 रतनाराम पुत्र मिसाराम जाति जाट
    11/2 निम्बाराम पुत्र मिसाराम जाति जाट
    11/3 नरसीराम पुत्र मिसाराम जाति जाट
    11/4 बीरमाराम पुत्र मिसाराम जाति जाट
    निवासीगण सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर
12. रता पुत्री सांवताराम पत्नि गिरधारीराम (फौत)
    12/1 तेजाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट
    12/2 छोटूराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट
    [illegible]राम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट
    [illegible]गण खैरवा तहसील डेगाना जिला नागौर
[illegible] सांवताराम पत्नि मोटाराम (फौत)
    [illegible]1 नाथुराम पुत्र मोटाराम जाति जाट
    [illegible]2 नरसीराम पुत्र मोटाराम जाति जाट
    [illegible]/3 छोटूराम पुत्र मोटाराम जाति जाट

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:26:14 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

निवासीगण सुखबासनी तहसील डेगाना जिला नागौर

14. धापू पुत्री सांवताराम पत्नि अरजाराम (फौत)

14 / 1 छोटू पुत्री अरजाराम पत्नि भंवरलाल जाति जाट निवासी जालसू खुर्द तहसील डेगाना जिला नागौर

14 / 2 भंवरलाल पुत्र अरजाराम

14 / 3 निम्बाराम पुत्र अरजाराम

निवासीगण चांदनी तहसील डेगाना जिला नागौर

14 / 4 बावडी पुत्री अरजाराम पत्नि सुखाराम जाति जाट निवासी पण्डवाला तहसील डेगाना जिला नागौर

14 / 5 देवा पुत्र अरजाराम जाति जाट निवासी चान्दनी तहसील डेगाना जिला नागौर

15. आदूराम पुत्र हेमाराम
16. चतराराम पुत्र हेमाराम
17. तेजाराम पुत्र हेमाराम
18. जंवरीराम पुत्र हेमाराम

निवासीगण गांव दागड़ी तहसील डेगाना जिला नागौर

19. रामलाल पुत्र चूनाराम निवासी गांव दागड़ी तहसील डेगाना जिला नागौर
20. मोहनराम पुत्र चूनाराम (फौत)

20 / 1 केलकी पत्नि मोहनराम निवासी गांव दागड़ी तहसील डेगाना जिला नागौर

20 / 2 गटू देवी पुत्री मोहनराम पत्नि रामप्रकाश निवासी गांव खेरवा तहसील डेगाना जिला नागौर

20 / 3 नरसीराम पुत्र मोहनराम (फौत)

20 / 3 / 1 भंवरी पत्नि नरसीराम

20 / 3 / 2 अनिता पुत्री नरसीराम

20 / 3 / 3 सुरेन्द्र पुत्र नरसीराम

20 / 3 / 4 सुनिल पुत्र नरसीराम जरिये कुदरती वलिया माता भंवरी देवी पत्नि नरसीराम जाति जाट निवासी दागडी तहसील डेगाना जिला नागौर

21. परसाराम पुत्र चूनाराम (फौत)

21 / 1 रतुडी पत्नि परसाराम हाल निवासी हाल ओमप्रकाश पुत्र रामूराम जाति जाट निवासी हिरणी ढाणी (जैतपुरा कला) तहसील डेगाना जिला नागौर

21 / 2 सीमा पुत्री परसाराम पत्नि ओमप्रकाश [illegible] जाट निवासी हिरणी ढाणी (जैतपुरा कला) तहसील डेगाना जिला नागौर

22. [illegible] पुत्री चूनाराम पत्नि मोहनराम जाति जाट निवासी बुगालिया निवासी भावला तहसील

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:26:14 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

जायल जिला नागौर

23. होनकी देवी पुत्री चूनाराम पत्नि उर्जाराम जाति जाट कासनिया निवासी हिरणी ढाणी तहसील डेगाना जिला नागौर
24. कानी देवी पुत्री चूनाराम पत्नि छोटूराम जाति जाट जुजाड़िया तनवासी हिरणी ढाणी तहसील डेगाना जिला नागौर
25. चन्दू देवी पुत्री चेनाराम पत्नि मांगीलाल जाति जाट झूझाड़िया निवासी हिरणी ढाणी तहसील डेगाना
26. तात्कालीन पटवारी, हल्का खैरवा तहसील डेगाना
27. नायब तहसीलदार सांजू तहसील डेगाना जिला नागौर
28. तहसीलदार डेगाना जिला नागौर
29. राजस्थान सरकार जरिये प्रतिनिधि तहसीलदार डेगाना
30. शाखा प्रबंधक, थार ग्रामीण बैंक, सांजू
31. एच.डी.एफ.सी. बैंक मेडता सिटी तहसील मेडतासिटी जिला नागौर।
32. शाखा प्रबन्धक एस.बी.बी.जे. (हाल एस.बी.आई.) शाखा डेगाना जिला नागौर
33. पांचाराम पुत्र सांवताराम (फौत)
34. तीजा पुत्री पांचाराम पत्नी घासीराम जाति जाट हाल निवासी जी.ई. (एम.ई.एस.) एयरफोर्स सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
35. रामरतन पुत्र पांचाराम निवासी दागड़ी तहसील डेगाना जिला नागौर
36. रामेश्वरी पुत्री पांचाराम पत्नि पूनाराम निवासी गांव खेरवा, तहसील डेगाना जिला नागौर
37. गीता पुत्री पांचराम पत्नि भूराराम जाति जाट निवासी गांव मिठडिया तहसील डेगाना जिला नागौर

उपस्थिति :–

1. प्रार्थी की ओर से वकील श्री नवीन कुमार सारस्वत।
2. अप्रार्थी संख्या–10, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 14/4 व 15 की ओर से वकील श्री मुकेश रामावत एवं अप्रार्थी संख्या–1 व 26 से 29 की ओर से राजपैरोकार श्री ओमप्रकाश पूनिया।

आदेश दिनांक– 11-02-2021

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अधीन धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना में विचाराधीन मुकदमा नम्बर 05/2015 व अस्थाई निषेधाज्ञा नम्बर 21/2015 भंवरलाल बनाम लिछमणराम आदि को पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी नागौर के न्यायालय में मुन्तकिल करने की प्रार्थना के साथ प्रस्तुत किया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस जारी किये गये।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:26:14 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

राजपैरोकार ने प्रार्थी के आवेदन के संबंध में कथन किया प्रकरण अप्रार्थीगण की तलबी में विचाराधीन है। प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी डेगाना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद **संख्या–05/2015 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2015 भंवरलाल बनाम लिछमणराम वगैरह** को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 07.03.2019 एवं 05.08.2019, जिसके द्वारा प्रार्थी को मुकदमें की तारीख पेशी पर पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के आदेश के क्रम में तथा प्रार्थी द्वारा भी पुलिस अधीक्षक महोदय नागौर के समक्ष उक्त संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी प्रार्थी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाने के आधार प्रार्थी ने यह मुन्तकिल आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है।

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी डेगाना पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने को लेकर तथा अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर न्याय को प्रभावित करने के संबंध में कोई शिकायत नहीं है। इसलिए उक्त कारणों से प्रकरण में बकाया अप्रार्थीगण की तलबी आवश्यक नहीं है। अतः प्रकरण में प्रार्थी के मुन्तकिल आवेदन पत्र पर उपस्थित प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के अधिवक्तागण की बहस अंतिम सुनी जाने का निवेदन किया।

वकील प्रार्थी ने भी प्रकरण में बकाया अप्रार्थीगण की तलबी नहीं करवाना चाहते है, का कथन करते हुए बहस अंतिम सुनी जाने का निवेदन किया।

वकुलाय के कथनों पर विचार किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया। अप्रार्थी संख्या–10, 13/1, 13/2, 14/1, 14/2, 14/4 व 15 की ओर से वकील श्री मुकेश रामावत व अन्य द्वारा वकालतनामा पेश किया जा चुका है। अप्रार्थी संख्या–31 बावजूद नोटिस तामील के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुआ है। अप्रार्थी संख्या–1 व 26 से 29 की ओर से राजपैरोकार द्वारा उपस्थिति दी गई है। प्रकरण में वकुलाय का कथन उचित होने से प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पर वकुलाय की बहस अंतिम सुनी जाकर निर्णय पारित किया जाना उचित होने से प्रकरण में वकुलाय की बहस सुनी गई।

वकील प्रार्थी ने प्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी डेगाना के समक्ष अपनी पुश्तैनी कृषि भूमि वाके रोही दागड़ी के खेत खसरा नम्बर 398/140 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 397/140 रकबा 4 बीघा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 392/140 रकबा 5 बीघा 5 बिस्वा, खसरा नम्बर 140 रकबा 0.02 बीघा, खसरा नम्बर 43 रकबा 15.18 बीघा, खसरा नम्बर 134 रकबा 7.08 बीघा, खसरा नम्बर 108/13 रकबा 1.14 बीघा, खसरा नम्बर 410/140 रकबा 2.15 बीघा, खसरा नम्बर 409/140 रकबा 2.15 बीघा, खसरा नम्बर 411/43 रकबा 0.13 बीघा, खसरा नम्बर 412/134 रकबा 7.05 बीघा उक्त खसरान की भूमि पूर्व में खसरा नम्बर 13, 40, 43, 140 कुल रकबा 55 बीघा 01 बिस्वा, खसरा नम्बर 134 रकबा 14 बीघा 10 बिस्वा प्रार्थी के पडदादा स्व. चौथा पुत्र बींजा कौम जाट निवासी दागड़ी के नाम की खातेदारी भूमि रही है। काश्त के आधार पर सेटलमेंट पट्टे के आधार पर दर्ज हुई है। जिसके बाबत अपने अधिकारों की घोषणा व विभाजन एंव चिर निषेधाज्ञा प्राप्त करने हेतु एक वाद पत्र बअनवान भंवरलाल बनाम लिक्ष्मण आदि पेश किया गया है।

प्रार्थी राजकीय सेवा में कार्यरत होकर भारतीय वायु सेना में व्हीकल मैकेनिकल की पोस्ट पर (मिल्ट्री इंजिनियरिंग सर्विस) भारतीय वायु सेना नाल में है जो कि बीकानेर से 30 कि.मी. दूर नाल एयरफोर्स में पदस्थापित है। अप्रार्थीगण अपराधिक प्रवृति के लोग है जिनके विरूद्ध कई अपराधिक प्रवृति के मुकदमें दर्ज है। अप्रार्थी [illegible] प्रार्थी के द्वारा तारीख पेशी पर डेगाना जाते समय प्रार्थी पर जानलेवा हमला किया [illegible] जिसके दौरान प्रार्थी के गंभीर चोटे कारित हुई जिसके संबंध में एफ.आई.आर सं. 255/2016 [illegible] थाने में दर्ज है। इसके अतिरिक्त अन्य प्रकरण अप्रार्थी के विरूद्ध दर्ज है [illegible] माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में एस.बी. क्रीमीनल सं. 1209/2019 पेश की गई। [illegible] दिनांक 07.03.2019 को माननीय उच्च

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:26:14 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर
नागौर (राजस्थान)

न्यायालय द्वारा आदेश में पुलिस अधीक्षक नागौर को निर्देशित किया गया है कि प्रार्थी / पीटीशनर द्वारा प्रस्तुतीकरण के पश्चात् उसे सुरक्षा मुहैया करवायी जावे जिसके पश्चात् प्रार्थी द्वारा उक्त आदेश की पालना में पुलिस अधीक्षक नागौर के समक्ष इस आशय का प्रार्थना पत्र पेश किया गया था जिसके बावजूद भी प्रार्थी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवायी गई है।

प्रार्थी / पीटीशनर द्वारा तत्पश्चात् क्रीमीनल पीटीशन संख्या 223 / 2019 माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर में इसी आशय का पेश की गयी जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 05.08.2019 को आदेश किया कि प्रार्थी को मुकदमों की नियत तारीख पर पुलिस चालानी गार्ड और एक हेड कांस्टेबल सुरक्षा हेतु तैनात करें। जिसके संबंध में प्रार्थी द्वारा बार–बार पुलिस अधीक्षक नागौर के समक्ष पेश होने के बावजूद भी माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश की पालना में प्रार्थी को सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। माननीय न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट डेगाना द्वारा तमाम घटनाक्रम के बावजूद माननीय न्यायालय के समक्ष लम्बित अपराधिक प्रकरण संख्या 255 / 16 में मुल्जिम रामचन्द्र वगैराह को मात्र इस आधार पर दोषमुक्त कर दिया गया कि प्रार्थी व गवाहान किशनलाल की साक्ष्य प्रार्थी / परिवादी स्वंय व अन्य महत्वपूर्ण गवाह साक्ष्य हेत उपस्थित नहीं आये है। उक्त आदेश दिनांक 31.10.2019 की प्रति इस आवेदन पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। लिक्ष्मणराम वगैराह प्रार्थी के परिवार के सदस्य है। पुश्तैनी अचल जायदाद कृषि भूमि को लेकर आपस में विवाद है जिनसे प्रार्थी को जान का खतरा है जिसके चलते प्रार्थी डेगाना न्यायालय में उपस्थित होकर अपनी पैरवी करने व अपना समुचित पक्ष रख पाने में असमर्थ है। इसलिए उक्त पत्रावली को अन्यत्र स्थानान्तरित करना आवश्यक हो गया है।

प्रार्थी को संवैधानिक अधिकार है कि वह अपने मामले में अपना समुचित पक्ष न्यायालय के समक्ष रख सके जिसके दौरान उसकी सुरक्षा का जिम्मा प्रशासन का है परन्तु माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश के बावजूद पुलिस प्रशासन नागौर द्वारा अपने प्रकरणों में पैरवी की दौरान सुरक्षा मुहैया नहीं करवायी जा रही है जिसके कारण प्रार्थी अपने मामलों में उपस्थित होकर संबंधित दस्तावेजीय व मौखिक साक्ष्य पेश नहीं कर पा रहा है। इसलिए प्रार्थी को अपना मामला साबित करने का पूर्ण अवसर मिल सके पत्रावली को स्थानान्तरित किया जाना आवश्यक होने का कथन करते हुए न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट डेगाना में विचाराधीन प्रकरण भंवरलाल बनाम लिक्ष्मणराम आदि प्रकरण दावा मुकदमा नं. 05 / 2015 व अस्थाई निषेधाज्ञा नम्बर 21 / 2015 की पत्रावली को उपखण्ड अधिकारी नागौर को न्यायालय में हस्तान्तरित किये जाने के आदेश फरमाने का निवेदन किया।

राजपैरोकार द्वारा बहस में कथन किया कि प्रार्थी ने उपखण्ड अधिकारी डेगाना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या–05 / 2015 एवं राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21 / 2015 भंवरलाल बनाम लिछमणराम वगैरह को मा0 उच्च न्यायालय जोधपुर के आदेश दिनांक 07.03.2019 एवं 05.08.2019 के कम में प्रार्थी को मुकदमें की तारीख पेशी पर पुलिस सुरक्षा उपलब्ध कराने के निर्देश है। प्रार्थी द्वारा पुलिस अधीक्षक महोदय नागौर के समक्ष उक्त संबंध में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के बावजूद भी प्रार्थी को सुरक्षा मुहैया नहीं करवाई जाने के आधार प्रार्थी ने यह मुन्तकिल आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है। प्रार्थी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक महोदय नागौर को प्रेषित प्रार्थना पत्र, जिसकी प्रति प्रार्थी द्वारा इस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत की गई है। उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी द्वारा 4 प्रकरण ए. सी.जे.एम. डेगाना में तथा 7 प्रकरण ए.डी.ओ. डेगाना में विचाराधीन होना बताते हुऐ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 की पालना में प्रार्थी को न्यायालय में सुनवाई के दौरान जाने पर एक चालानी गार्ड व हेड कानिस्टेबल के द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी ने [illegible] जिला पुलिस अधीक्षक नागौर को जो की एक आवश्यक पक्षकार है, जिन्हे प्रकरण में पक्षकार ही नहीं बनाया है इस आधार पर भी प्रार्थी का यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किये जाने योग्य [illegible] जिला पुलिस अधीक्षक महोदय नागौर द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:26:14 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

मा0 उच्च न्यायालय के आदेश की पालना नहीं की जा रही है, तो ऐसे में प्रार्थी उक्त आदेश की पालना करवाने के संबंध में विधि अनुसार मा0 उच्च न्यायालय में ही कार्यवाही करनी चाहिए। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के अन्य चार प्रकरण भी ए.सी.जे.एम. डेगाना में विचाराधीन है। इसलिए भी केवल उपखण्ड अधिकारी डेगाना में विचाराधीन प्रकरणों को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने का कोई औचित्य नहीं है। उपर्युक्तानुसार प्रकरणों को अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल करने का आधार मात्र मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के उपरान्त भी जिला पुलिस अधीक्षक महोदय नागौर द्वारा सुरक्षा मुहैया नहीं करवाने बाबत है, प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अनुसार प्रार्थी को उपखण्ड अधिकारी डेगाना पीठासीन अधिकारी से न्याय नहीं मिलने को लेकर तथा अप्रार्थीगण की पीठासीन अधिकारी से मिलीभगत कर न्याय को प्रभावित करने के संबंध में कोई शिकायत नहीं होने का कथन करते हुए प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया है।

वकील अप्रार्थी श्री मुकेश रामावत द्वारा बहस में वकील प्रार्थी द्वारा किये गये कथनों से सहमति व्यक्त करते हुऐ प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार करने का निवेदन किया है।

वकुलाय की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा **उपखण्ड अधिकारी डेगाना के न्यायालय में विचाराधीन राजस्व वाद संख्या–05/2015 भंवरलाल बनाम लिछमणराम वगैरह, राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 21/2015 भंवरलाल बनाम लिछमणराम वगैरह** को उपखण्ड अधिकारी नागौर के न्यायालय में हस्तान्तरित करने का आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी ने जिला पुलिस अधीक्षक नागौर को प्रेषित प्रार्थना पत्र की अनुसार प्रार्थी द्वारा 4 प्रकरण ए.सी.जे.एम. डेगाना में तथा 7 प्रकरण ए.डी.ओ. डेगाना में विचाराधीन होना बताते हुऐ माननीय उच्च न्यायालय द्वारा रिट पिटीशन में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 की पालना में प्रार्थी को न्यायालय में सुनवाई के दौरान जाने पर एक चालानी गार्ड व हेड कानिस्टेबल के द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाने का निवेदन किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रार्थी व अन्य द्वारा प्रस्तुत एस.बी.क्रिमीनल मिस (पिटी.) संख्या 2323/2019 भंवरलाल वगैरह बनाम राज0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 05.08.2019 से निम्नानुसार आदेश पारित किया गया है :– **"Instant petition has been preferred for grant of protection contending that the petitioners, while visit to appear before different courts are exposed to threat and often intimidated by private respondents.**

Learned Public Prosecutor has placed on record factual report No.4505 dated 29th July 2019, which discloses that the investigating agency has already filed challan against accused Ramchandra, Muni Ram & Mukesh Meghwal for the offences punishable under sections 341, 323/34 IPC and offence has been found prima facie proved against accused persons. Learned Public Prosecutor has also stated that sufficient Police escort comprising of one Challani Guard and a Police Head Constable is provided to the petitioners, whenever they visit to attend their court hearing.

As such, the purpose of the instant petition is fulfilled, so the petition is disposed of."

उक्त आदेश के सन्दर्भ में ही प्रार्थी द्वारा जिला पुलिस अधीक्षक नागौर को उपर्युक्तानुसार प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी को न्यायालय में सुनवाई के दौरान जाने पर एक चालानी गार्ड व हेड कानिस्टेबल के द्वारा सुरक्षा उपलब्ध करवाई जाने का निवेदन किया गया है। प्रार्थी द्वारा प्रकरण में जिला पुलिस अधीक्षक नागौर जो कि एक आवश्यक पक्षकार है, जिन्हे अप्रार्थी पक्षकार के रूप में संयोजित नहीं किया है। इसके अतिरिक्त प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के अनुसार ही उपखण्ड अधिकारी डेगाना के न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणों के अतिरिक्त ए.सी.जे.एम. कोर्ट डेगाना में भी उसके चार प्रकरण विचाराधीन है। बिना किसी ठोस आधार के प्रार्थी के निवेदन पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने

Signature Not Verified
Digitally signed by: Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 16:26:14 IST
Reason: SelfAttested

कलक्टर, नागौर

की दशा में अन्य अप्रार्थीगण जो प्रकरण को स्थानान्तरित नहीं करवाना चाहते उन्हे भी प्रकरण अन्यत्र स्थानान्तरित कर देने पर दुविधा रहेगी। उपरोक्तानुसार तथ्यों के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। फिर भी प्रार्थी की सुरक्षा के मद्देनजर जिला पुलिस अधीक्षक नागौर को माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश की पालना में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया जाना उचित है।

अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत यह मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है। परन्तु जिला पुलिस अधीक्षक नागौर को प्रार्थी की सुरक्षा के मद्देनजर माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 07.03.2019 एवं 05.08.2019 की पालना में आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिये जाते है। आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक नागौर एवं उपखण्ड अधिकारी डेगाना को पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश सुनाया।

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

(डॉ0 जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलक्टर, नागौर

Signature Not Verified

Digitally signed by Jitendra Kumar Soni
Date: 2021.04.07 15:26:14 IST
Reason: SelfAttested